पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 89 / 2018
तारीख दायर : 02.11.2018

उनवान

1. चन्द्रा पिता हरला जाति गुर्जर निवासी होड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. हरिओम पिता भोजा जाति गुर्जर निवासी होड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. मुकेशकुमार पिता भोजा जाति गुर्जर निवासी होड़ा तहसील माण्डलगढ़।
4. सोसर पत्नि भोजा जाति गुर्जर निवासी होड़ा तहसील माण्डलगढ़।
5. राजकुमार पिता भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी होड़ा तहसील माण्डलगढ़।
6. लाडदेवी पुत्री भोजा जाति गुर्जर निवासी होड़ा तहसील माण्डलगढ़।
7. सत्यनारायण पिता भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी होड़ा तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. दूदा पिता किशना जाति गुर्जर निवासी होड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. मगना पिता सूरजा जाति गुर्जर निवासी होड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता अप्रार्थीगण–1,2)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 17.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम होड़ा पटवार हल्का होड़ा में स्थित भूमि आराजी संख्या 677 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा पर पैदल राजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का रास्ता कदमी समय से ग्राम होडा से दक्षिणी दिशा में जाने वाले कच्चे रास्ते से होकर विपक्षी संख्या 1 आराजी संख्या 678/3 के बीचोबीच होकर विपक्षी नम्बर 2 की आराजी नम्बर 677 की उत्तरी मेड़ पर स्थित से होकर उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी बरसो से करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता मौके पर 15 फीट चौड़ा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रास्ते को अवरूद्ध करने के उद्देश्य से दिनांक 16.10.2018 को रास्ते को अवरूद्ध कर दिया व प्रार्थीगण को निकलने के लिए मना कर दिया। जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में पहुँचने से महरूम हो रहे है। एवं फसल की देखरेख नही कर पा रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 677 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 678/3 के बीच में विपक्षी [illegible] 677 से रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

बाद जांच प्रार्थना पत्र [illegible] नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। [illegible] 2019 को विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया जिसे शा[illegible]ावली किया गया। दिनांक 26.12.2019 को पूर्व में प्रस्तुत प्रा[illegible]पत्र अन्तर्गत धारा 151 [illegible] का जवाब प्रार्थनापत्र अधिवक्ता प्रार्थी श्री सांवरमल रेबारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या 1 दूदा पिता किशना गुर्जर निवासी होड़ा एकल खातेदार है जो कि आराजी नम्बर 667 में खातेदार नही है लेकिन विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीगण की जमीन में पहुँचने हेतु उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:25:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खा है जो कि उक्त रास्ता विपक्षी संख्या 1 की भूमि से आराजी नम्बर 678/3 से प्रारम्भ होता है जो कि आराजी नम्बर 677 में पहुँचता है। जो कि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 2 के सहखातेदार है लेकिन सहखातेदार विपक्षी संख्या 2 ने मिलीभगती से विपक्षी संख्या 1 से मिलकर उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर बन्द कर दिया है। जो कि मौके पर रास्ते के लिए विवाद उतपन्न कर रहा है। प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 678/3 में से रास्ता चाहा गया है उक्त रास्ता 678/3 में से होकर आराजी नम्बर 677 में पहुँचता है। विपक्षी संख्या 1 एकल खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष सहखातेदार विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध भी चाहा गया है। लेकिन विपक्षी संख्या 2 सहखातेदार है इसलिए उक्त प्रार्थनापत्र में सहखातेदार विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध अनुतोष प्रार्थीगण नही चाहते है। अतः विपक्षी संख्या 1 कि आराजी नम्बर 678/3 में से रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें जो कि एकल खातेदार है। दिनांक 06.02.2020 को विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किया गया। प्रार्थनापत्र विधिक प्रक्रिया से सम्बन्धित होने से प्रतितौर की आवश्यकता नही है। तथा प्रार्थीगण के व्यक्तिगत परिचय के सम्बन्ध में सही जानकारी देने का दायित्व प्रार्थीगण का है। और पते से सम्बन्धित सही जानकारी देने का भी दायित्व प्रार्थीगण का है। प्रार्थनापत्र राजस्व रेकॉर्ड के इन्द्राज की सीमा तक स्वीकार है किन्तु उक्त आराजी नम्बर 677 प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 2 के सामलाती अविभक्त आराजियात होने से प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 2 के मध्य विधिवत विभाजन कराये बिना रास्ते बाबत प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 2 के खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि आराजी नम्बर 677 साामलाती होकर विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज आराजी नम्बर 677 पर आने जाने संजबैल, ट्रेक्टर बेल आदि का आराजी नम्बर 678/3 जो विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है में से होकर कभी भी नही आते जाते है। और ना ही ऐसा कोई रास्ता आराजी नम्बर 678/3 के बीचोबीच होकर निकलता है। आराजी नम्बर 677 की पश्चिमी भुजा के सहारे सहारे विपक्षी संख्या 2 अपने नाम दर्ज 18/91 हिस्से तक मौके पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा है। जो प्रार्थीगण द्वारा पेश नजरी नक्से से भी सिद्ध है तथाकथित आराजी नम्बर 678/3 व आराजी नम्बर 677 में कभी भी रास्ता विद्यमान नही रहा है एवं न ही प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर पहुँचने हेतु इस रास्ते का उपयोग करते है। राजस्व नक्साट्रेस के अनुसार आराजी नम्बर 677 की उत्तरी भुजा के सहारे सहारे आराजी नम्बर 678/3 में इसके समानान्तर रास्ता कायम किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 की आराजी दो भागो में विभाजित हो जाती है जो विधिमान्य नही है। आराजी नम्बर 677 की पश्चिमी भुजा पर जहा विपक्षी संख्या 2 काबिज है इस आराजी के उत्तरी भुजा के सहारे विपक्षी संख्या 2 की अन्य आराजियात आराजी नम्बर 679, 680 स्थित है। ऐसी स्थिति में यदि आराजी नम्बर 677 की उत्तरी भुजा पर रास्ता दिया जाता है तो विपक्षी संख्या 2 की आराजियात दो भागो में विभाजित हो जायेगी जो विद्यमान नही है। प्रार्थीगण अपनी भूमि में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 678/1, 678/2 की दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे होकर आते जाते रहे है और वर्तमान में भी आ जा रहे है। फिर भी यदि प्रार्थीगण को अपनी आराजियात पर पहुँचने हेतु आराजी नम्बर 678/1, 678/2 की दक्षिण भुजा के सहारे सहारे आराजी नम्बर 677 की दक्षिणी भुजा से रास्ता दिया जाता हैतो विपक्षीगण को कोई आपत्ति नही है क्योकि विपक्षी संख्या 2 जो आराजी नम्बर 677 में सह खातेदार के रूप में दर्ज रेकॉर्ड है। आराजी नम्बर 677 की पश्चिमी उत्तरी भुजा के सहारे सहारे विपक्षी संख्या 2 की स्थित अन्य आराजियात आराजी नम्बर 679, 680 दो भागो में विभाजित नही होगी तथा आराजी नम्बर 677 की दक्षिणी पश्चिमी भुजा पर विपक्षी संख्या 2 के हिस्से में आने वाली भूमि से रास्ता कायम किया जाता है तो विपक्षी संख्या 2 मुआवजा नही चाहकर रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के बदले में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में से कम की जाकर विपक्षी संख्या 2 की हिस्से की भूमि का रकबा पूरा किया जाकर रास्ता देने में विपक्षी संख्या 2 तैयार व सहमत है। प्रार्थीगण पिछले 50 वर्षो से अपनी कृषि भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग क[illegible] होने की स्थिति में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान [illegible] नही होते है। उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य न होकर खारिज किया [illegible] है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 09.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2019/63 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी [illegible] ग्राम होड़ा पटवार हल्का होड़ा की आराजी संख्या 677 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 678/3 में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये मौके व राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई रास्ता नही है। मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की आराजी में से 06 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में ली जावेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 06 बिस्वा भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 532620 रूपये प्रति बीघा से 159786 रूपये बनती है। दुगुनी दर 319572 रूपये है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:25:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने सर्वपक्षीय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2071–74, जमाबन्दी सम्वत 2075–78 दिनांक 09.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 06 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 06 बिस्वा खातेदारी भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 532620 रू. प्रति बीघा से 159786 रू. बनती है। दुगुनी डी.एल.सी. दर 319572 रू. बनती है। प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 677 में पहुंचने के लिये आराजी संख्या 678/3 व 677 के मध्य से रास्ता चाहा गया है। जिस भूमि आराजी संख्या 677 के लिये रास्ता चाहा गया है उसमें अप्रार्थी संख्या 02 सहखातेदार है। प्रार्थी द्वारा जो नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया है। उसमें खातेदार द्वारा अपने स्तर से विभाजन कर कब्जे कास्त होना दर्शाया है जिसके अनुसार आराजी संख्या 677 में अप्रार्थी संख्या 2 सह खातेदार है। मगर जब तक वास्तविक विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होता तब तक खातेदारान द्वारा किया गया विभाजन वैध नही है। भूमि के हर हिस्से पर सभी का अधिकार है। ऐसी स्थिति में आराजी संख्या 677 का वैध रूप से विभाजन नही होता है तब तक रास्ता दिया जाना उचित नही है।

अतः ग्राम होडा पटवार हल्का होड़ा के आराजी संख्या 678/3 व 677 के मध्य से रास्ता चाहा गया है। रास्ता आराजी संख्या 677 में पंहुचने के लिये ही चाहा गया है। उक्त विवेचन के आधार पर उक्त आराजी में पंहुचने के लिये आराजी संख्या 678/3 के बिच में व आराजी संख्या 677 की उत्तरी मेर पर से ही प्रार्थना पत्र में रास्ता चाहा गया है। एवं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 इस आराजी के सहखातेदार है। जिससे राजस्व रिकार्ड में वैध विभाजन होने के बाद ही प्रार्थी रास्ता पाने का हकदार हो सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:25:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner